


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या – 1544/2014जिला– सीकर.....

उनवान-श्रीमति सिणगारी देवी पत्नि श्योनाराम, जाट निवासी-ग्राम लामिया,सीकर बनाम राज0 सरकार जरिए उपजीयक,दांतारामगढ व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.02.2016	<p align="center">एकलपीठ श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य</p> <p>पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री हरदत सहारण एवं अप्रार्थी सं० एक विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई उपस्थित।</p> <p>प्रार्थीया जरिये अभिभाषक की ओर से विद्झा करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 22.02.2016 प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे प्रार्थीया ने निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी ब्याज व शास्ति पर छूट के तहत स्टाम्प ड्यूटी जमा करवाना चाहती है, इसलिए निगरानी को आगे नहीं चलाना चाहती है जिस कारण से निगरानी को जरिये विद्झा खारिज फरमाया जाना अतिआवश्यक व न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर, प्रकरण को आज ही जरिये विद्झा करने के आदेश प्रदान करावें।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को विद्झा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 1544/2014/सीकर जरिये विद्झावल (Withdrawal) खारिज की जाती हैं।</p> <p align="center">आदेश सुनाया गया।</p> <p align="right">  (ईश्वरी लाल वर्मा) सदस्य </p>	